छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

ब्लाक नंबर–7 ए, द्वितीय तल, आफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–24,
मुख्यालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / चना / निविदा / 2020–21 / ०६ नवा रायपुर, दिनांक २०/०४/२०२०

संशोधन सूचना

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के चना क्रय हेतु ई–निविदा सूचना क्रमांक / चना / निविदा / 2020–21 / 276 दिनांक 04.04.2020 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र.	निविदा में उल्लेखित शर्तें	संशोधित शर्तें
1	निविदा दस्तावेजों के परिशिष्ट–दो के बिन्दु क्रमांक–43 एवं परिशिष्ट–सात के बिन्दु क्रमांक–26 में उल्लेखित "इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद यदि उत्पन्न होता है तो उस पर एक मात्र आर्बीट्रेटर द्वारा निर्णय किया जावेगा। इसके लिए संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, नवा रायपुर–छ. ग. अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि एक मात्र आर्बिट्रेटर होंगे, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त विवादों का न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित जिला न्यायालय होगा।"	"उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिन की समय सीमा उभयपक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट हो या प्रबंध संचालक के द्वारा उक्त समयावधि में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता तो, क्षुब्ध पक्ष उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है। जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।"
2	निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट 16 के अनुसार दस्तावेज को मूल दस्तावेज से स्केन कराकर नोटरी से सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।	निविदाकार, निविदा दस्तावेजों को नोटरी से सत्यापित प्रति, के स्थान पर निविदा दस्तावेज स्व–प्रमाणित प्रस्तुत कर सकता है, परंतु सफल निविदाकार को अनुबंध के समय नोटरी से सत्यापित दस्तावेज मूल प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होग
3	पूर्व में यह शर्तें लागू नहीं था।	निविदा दस्तावेजों के परिशिष्ट–दो एवं परिशिष्ट–सात में एक अतिरिक्त कंडिका "सफल निविदाकार को अपने चना कारखाना में तत्काल टी.सी. बनाने हेतु कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था करना बंधनकारी होगा।" जोड़ा जाता है।

निविदा दस्तावेजों के शेष नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

महाप्रबंधक